

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 23]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 10 जून 2022—ज्येष्ठ 20, शक 1944

भाग ४

विषय—सूची

- | | | | |
|-----|------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| (क) | (1) मध्यप्रदेश विधेयक, | (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन | (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक. |
| (ख) | (1) अध्यादेश | (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, | (3) संसद् के अधिनियम. |
| (ग) | (1) प्रारूप नियम, | (2) अन्तिम नियम. | |

भाग ४ (क)—कुछ नहीं.

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं.

भाग ४ (ग)

प्रारूप नियम

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 जून 2022

क्र. एफ-2-6-2019-सात-शा.7.— मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (विविध) नियम, 2020 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे राज्य सरकार, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 258 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खण्ड (इकसठ) के साथ पठित धारा 240 और धारा 258 की उपधारा (2) के खण्ड (बासठ) के साथ पठित धारा 241 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बनाना प्रस्तावित करती है, जो उक्त अधिनियम, की धारा 258 की उपधारा (3) द्वारा यथाअपेक्षित किए गए अनुसार ऐसे समस्त व्यक्तियों जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पन्द्रह दिन का अवसान होने पर उक्त संशोधन प्रारूप पर विचार किया जाएगा.

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर, जो उक्त संशोधन प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि का अवसान होने के पूर्व सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, वल्लभ भवन, मंत्रालय, भोपाल प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा.

प्रारूप संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 74 का लोप किया जाए।
2. नियम 75 में,—
 - (1) नियम 75 को उपनियम (1) के रूप में पुनर्क्रमांकित किया जाए और इस प्रकार पुनर्क्रमांकित उपनियम (1) में, शब्द 'ग्राम पंचायत स्तरीय समिति की सिफारिश पर तहसीलदार', के स्थान पर, शब्द "ग्राम पंचायत, पटवारी की रिपोर्ट पर" स्थापित किए जाएं।
 - (2) उपनियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्—
 - “(2) कोई व्यक्ति जो नियम 73 में विनिर्दिष्ट कोई वृक्ष काटना या गिराना चाहता है, यदि ऐसा वृक्ष—
 - (क) उसके खाते में खड़ा है, तो ग्राम पंचायत को;
 - (ख) दखलरहित भूमि में खड़ा है, तो कलक्टर को;
 अनुमति हेतु ऑनलाईन आवेदन प्रारूप सत्रह में करेगा।”।
3. नियम 76 में परन्तुक में शब्द " ग्राम पंचायत स्तरीय समिति की इसके सम्यक रूप से बुलाये गये सम्मिलन में पारित विधिमान्य संकल्प के आधार पर की गई सिफारिश पर" का लोप किया जाए।
4. नियम 79 में,—
 - (1) उपनियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्—
 - “(2) नियम 75 के अधीन ग्राम पंचायत या नियम 76 के अधीन कलक्टर या तहसीलदार द्वारा पारित आदेश की एक प्रति अभिवहन पास जारी करने के लिए मध्यप्रदेश अभिवहन (वनोपज) नियम, 2000 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजी जाएगी।”
 - (2) विद्यमान उपनियम (2) को उपनियम (3) के रूप में पुनर्क्रमांकित किया जाए।”।
5. नियम 79 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्—
 - “79—क. अपील.— इन नियमों के अध्याय छह के भाग—ग के उपबंधों के अधीन ग्राम पंचायत द्वारा पारित किए गए किसी आदेश के विरुद्ध अपील उपखण्ड अधिकारी को होगी:
 - परन्तु उपरोक्त उपबंधों के अधीन प्रथम अपील में पारित आदेश के विरुद्ध कोई द्वितीय अपील नहीं होगी।”।
6. नियम 91 का लोप किया जाए।

7. नियम 92 में, शब्द "प्ररूप-सत्रह में लिखित में तीन प्रतियों में तहसीलदार को आवेदन" के स्थान पर, शब्द "प्ररूप-सत्रह में ग्राम पंचायत को इलेक्ट्रॉनिक आवेदन" स्थापित किए जाएं।
8. नियम 93 में,—
- (1) शीर्ष से स्थान पर, निम्नलिखित शीर्ष स्थापित किया जाए, अर्थात्:—
"ग्राम पंचायत का आदेश।"
- (2) उपनियम (1) का लोप किया जाए;
- (3) उपनियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—
"(2) ग्राम पंचायत यह सुनिश्चित करेगी कि इमारती लकड़ी के वृक्षों में से, जिन्हें काटने हेतु आवेदन किया गया है, उनमें से कौन से लोक हित में या कौन से मिट्टी का कटाव रोकने के लिए अनुरक्षित रखे जाना अपेक्षित हैं।"
- (4) उपनियम (3) में, शब्द "तहसीलदार" के स्थान पर, शब्द "ग्राम पंचायत, पटवारी की रिपोर्ट पर" स्थापित किए जाएं।
9. नियम 97 में,—
- (1) उपनियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—
"(2) नियम 93 के अधीन ग्राम पंचायत द्वारा पारित आदेश की एक प्रति अभिवहन पास जारी करने के लिए मध्यप्रदेश अभिवहन (वनोपज) नियम, 2000 के अधीन सक्षम प्राधिकारी की ओर इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजी जाएगी।"
- (2) उपनियम (2) को उपनियम (3) के रूप में पुनर्क्रमांकित किया जाए।
10. नियम 98 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—
"98क. अपील.— इन नियमों के अध्याय छह के भाग-ड के उपबंधों के अधीन ग्राम पंचायत द्वारा पारित किए गए किसी आदेश के विरुद्ध अपील उपखण्ड अधिकारी को होगी:
परन्तु उपरोक्त उपबंधों के अधीन प्रथम अपील में पारित आदेश के विरुद्ध कोई द्वितीय अपील नहीं होगी।"

11. प्ररूप सत्रह के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

‘प्ररूप-सत्रह
(नियम 75(2), तथा नियम 92 देखिए)
मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (विविध) नियम, 2020

[सुसंगत बॉक्स में (√) चिन्हित करें]

1. मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 240 की उपधारा (1) के अधीन नियम 73 में उल्लेखित कतिपय वृक्षों को काटे जाने के लिये अनुज्ञा।
2. मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 241 की उपधारा (2) के अधीन राष्ट्रीयकृत इमारती लकड़ी के वृक्ष को काटकर गिराने की अनुज्ञा।

प्रति,

ग्राम पंचायत

ग्राम.....तहसील जिला

1	आवेदक की जानकारी-	
	(1) आवेदक का नाम (प्रथम, मध्य एवं अंतिम)	
	(2) माता/पिता/पति का नाम	
	(3) आधार कार्ड (वैकल्पिक)	
	(4) समग्र आईडी	
	(5) वर्तमान निवास का पता	
	(6) मोबाइल फोन नंबर	
	(7) ई-मेल पता (यदि कोई हो)	
2	जिसके खाते में वृक्ष काटे जाना है उसकी जानकारी-	
	(1) भूमिस्वामी का नाम	
	(2) क्या भूमिस्वामी आदिम जनजाति वर्ग का व्यक्ति है?	
	(3) ग्राम का नाम	
	(4) पटवारी हल्का क्रमांक	
	(5) सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लॉक संख्यांक/भूखंड संख्यांक	
	(6) क्षेत्रफल	
	(7) पूर्वोक्त सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लॉक संख्यांक/भूखंड संख्यांक में खड़े वृक्षों की प्रजातिवार कुल संख्या	
	(8) गिराये जाने वाले वृक्षों की संख्या	

3	क्रेता का नाम पूर्ण विशिष्टियों तथा पता (यदि वृक्षकाय को विक्रय किया जाना आशयित हो)	
4	गंतव्य स्थान जहाँ तक काटी गई सामग्री का परिवहन या तो स्वयं या क्रेता द्वारा किया जाना है	
5	परिवहन का मार्ग	

स्थान :

तारीख:

आवेदक के हस्ताक्षर।"।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्द्रशेखर वालिम्बे, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 27 जून 2022

क्र. एफ-2-6-2019-सात-शा.7.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ-2-6-2019-सात-शा.7, दिनांक 7 जून 2022 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्द्रशेखर वालिम्बे, उपसचिव.

No. F-2-6-2019-VII-Sec.7

Bhopal, the 7th June 2022

The following draft of amendment in the Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Vividh) Niyam, 2020, which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (lxi) of sub-section (2) of section 258 read with section 240 and clause (Lxii) of sub-section (2) section 258 read with section 241 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) is hereby published as required by sub-section (3) of section 258 of the said Code for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft of amendment shall be taken in to consideration on the expiry of fifteen days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette.

Any objection or suggestion which may be received by the Secretary, Government of Madhya Pradesh, Revenue Department, Vallabh Bhawan, Mantralaya, Bhopal from any person with respect to the said draft of amendment on or before the expiry of the period specified above shall be considered by the State Government.

DRAFT OF AMENDMENT

In the said rules,-

1. Rule 74 shall be omitted.
2. In rule 75,-
 - (1) Rule 75 shall be renumbered as sub-rule (1) and in sub-rule (1) as so renumbered, for the words "Tahsildar on the

recommendation of Gram Panchayat Level Committee”, the words “Gram Panchayat on the report of Patwari” shall be substituted.

(2) After sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

“(2) Any person desirous of cutting or feeling of any tree specified in rule 73 shall apply online for permission in Form-XVII, if such tree is standing-

(a) In his holding, to the Gram Panchayat;

(b) In unoccupied land, to the Collector.”.

3. In rule 76 in the proviso, words “on the recommendation of Gram Panchayat Level Committee on the basis of a valid resolution passed in its duly convened meeting” shall be omitted.

4. In rule 79,-

(1) After sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely :-

“(2) A copy of order passed by the Gram Panchayat under Rule 75 or by the Collector or Tahsildar under Rule 76 shall be sent electronically for issuing a Transit pass to the competent authority under the Madhya Pradesh Transit (Forest Produce) Rules, 2000.

(2) Existing sub-rule (2) shall be renumbered as sub-rule (3).”.

5. After rule 79, the following rule shall be inserted, namely:-

“79-A. Appeal.-

An appeal shall lie to the Sub-Divisional Officer against any order passed by the Gram Panchayat under the provisions of Part C of Chapter VI of these rules:

Provided that no second appeal shall lie against the order passed in first appeal under the aforesaid provisions.”.

6. Rule 91 shall be omitted.

7. In rule 92, for the words “in writing to the Tahsildar an application in triplicate in Form-XVII”, the words “an application electronically to the Gram Panchayat in Form-XVII” shall be substituted.

8. In rule 93,-

(1) For the heading following heading shall be substituted, namely:-

“Order of Gram Panchayat.”.

(2) sub-rule (1) shall be omitted.

(3) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely :-

“(2) The Gram Panchayat shall ascertain which timber trees from among those applied for cutting are required to be retained in public interest or for preventing erosion of soil.”.

- (4) in sub-rule (3), for the word "Tahsildar", the words "Gram Panchayat on the report of Patwari" shall be substituted.
9. In rule 97,-
- (1) after sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely :-
- "(2) A copy of order passed by the Gram Panchayat under rule 93 shall be sent electronically for issuing a Transit Pass to the competent authority under the Madhya Pradesh Transit (Forest Produce) Rules, 2000."
- (2) sub-rule (2) shall be renumbered as sub-rule (3).
10. After rule 98, the following rule shall be inserted, namely :-
- "98-A. Appeal.-
- An appeal shall lie to the Sub-Divisional Officer against any order passed by the Gram Panchayat under the provisions of Part-E of Chapter VI of these rules:
- Provided that no second appeal shall lie against the order passed in first appeal under the aforesaid provisions."
11. For Form XVII, the following Form shall be substituted, namely :-

"FORM-XVII

[see rule 75 (2) and rule 92]

**The Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Vividh) Niyam,
2020**

[Tick (✓) the relevant box]

1. Permission required under sub-section (1) of section 240 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 for cutting of certain trees mentioned in rule 73
2. Permission required for felling nationalized timber tree under sub-section (2) of section 241 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959

To,

The Gram Panchayat,

Village.....Tahsil.....District.....

1.	Details of applicant-	
	(1) Name of applicant (first, middle and last)	
	(2) Mother's /Father's/Husband's name	
	(3) Aadhar Card (option)	
	(4) Samagra ID No.	
	(5) Present residential address	
	(6) Mobile Phone No.	
	(7) E-mail address (if any)	
2.	Details of over whose holding the felling is to be done	
	(1) Name of Bhumiswami	
	(2) Whether the Bhumiswami is a person from aboriginal tribe?	
	(3) Name of the Village	
	(4) Patwari Halka No.	
	(5) Survey No./Block No./Plot No.	
	(6) Area	
	(7) Total number of trees standing in the aforesaid Survey Number/Block Number/Plot Number species-wise	
	(8) Number of tree to be felled	
3.	Name, full particulars and address of the purchaser (if the corpus of tree is intended to be sold)	
4.	Destination to which felled material is to be transported either personally or by the purchaser	
5.	Route of transport	

Place.....

Date.....

Signature of applicant.”.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
CHANDRASHEKHAR WALIMBE, Dy. Secy.